

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02-10-2021

आज दिनांक 02.10.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 03 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता बैजू पुत्र श्री गुप्ता निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौ0 बरदहिया उ0नि0 श्री वीरेन्द्र मिश्रा, का0 आलोक तिवारी ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता जीतेन्द्र कुमार पुत्र ज्ञानचन्द यादव निवासी ग्राम कोहरवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजाराम यादव मय हमराह ।

थाना महुली पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता रामानन्द यादव पुत्र गणेश यादव निवासी सेमरौना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी काली जगदीशपुर उ0नि0 श्री रमजान अली अंसारी, हे0कां0 कर्मवीर सिंह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत कांटे से इवेन्ट संख्या 10314 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति (विशाल पुत्र जुगल, ग्राम तेनुहारी दोयम संतकबीरनगर) के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर घायल व्यक्ति को जरिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में चौकी कांटे, थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जा नबचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रामानन्द चौधरी, मु0आ0 अरविन्द कुमार, हो0चा0 सुरेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 57 वाहनो से 46000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.10.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 57 वाहनो से 46000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।